बेगूसराय समाहरणालय

(जिला राजस्व शाखा)

सिमरिया मेला में विद्युत व्यवस्था हेतु अल्पकालीन निविदा

सिमरिया मास मेला–2015 दिनांक– 18.10.2015 से दिनांक– 25.11.2015 तक आयोजि किया जायेगा । मेला क्षेत्र काफी विस्तृत होने के कारण बृहत पैमाने पर विद्युत संबंधित कार्यो की व्यवस्था की जानी है । इसके लिए दिनांक–............................को ....बजे अपराह्न तक विद्युत व्यवस्था से संबंधित कार्यो के लिए अलग–अलग वित्तीय एवं तकनीकी निविदा आमंत्रित की जाती है । यह निविदा जिला राजस्व शाखा में निर्धारित अवधि तक जमा की जा सकती है । निविदा उसी दिन 3.00 बजे अप0 में जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी । निविदा समाप्ति के पश्चात चयनित निविदादाता को एकरारनामा प्रस्तुत करने के पश्चात कार्यादेश निर्गत किया जायेगा ।

चयनित निविदादाता द्वारा संध्या 6.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराना होगा । जिला सूचना एवंज न–संपर्क विभाग को ध्वनि विस्तारक यंत्र हेतु प्रशासनिक भवन में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा । कार्य के दौरान विद्युत तार (मुख्य लाइन 7/22 एवं ब्रॉच लाइन 3/22) केबुल सकल इन्सुलेटर के साथ लगाया जायेगा । सतह के उपर कम से कम 20 फीट उँचा लकड़ी का पोल , सकल इन्सुलेटर हर पोल पर लगेगा । 40 फीट जी0 आई0 पाईप गाड़कर आवश्यक जगहों पर अरथिंग जोड़ा जायेगा । मेन स्वीच 100 एम्पीयर, 60 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 15 एम्पीयर एवं कट–आउट सर्किट लगाना अनिवार्य होगा । सभी तार के जोड़ पर टी0भी0 सी0 इन्सुलेटिंग टैप लगाना होगा । विद्युत संबंधित **" सुरक्षा प्रमाण पत्र"** कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बरौनी से लेना सुनिश्चित करेगें । हर कैम्पस में स्वीच बोर्ड लगाना होगा एवं पूरे मेला अवधि के दौरान एक पर्यवेक्षक एवं दो लाईसेंसधारी वायरमैन को रखना अनिवार्य होगा । अनुज्ञप्तिधारी विद्युत ठीकेदार निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी । निविदा समाप्ति के पश्चात चयनित निविदादाता को एकरारनामा प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्यादेश निर्गत किया जायेगा ।

संवेदक को विद्युत व्यवस्था हेतु अस्थायी रूप से विद्युत कनेक्शन लेकर मीटर लगाना होगा । सिमरिया मेला–2014 में अनुमानित विद्युत यूनिट व्यय लगभग 23,000 कि0 वाट रहा है । विद्युत संवेदक सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में सम्पूर्ण मेला अवधि तक पर्याप्त मात्रा में रौशनी आपूर्ति करना सुनिश्चित करेगें । विद्युत संवेदक मेला परिसर के महत्वपूर्ण / मुख्य स्थलों पर मोबाईल चार्जिग प्वाइंट लगाना सुनिश्चित करेगें । संध्या 6.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक मेला परिसर में लगातार एक जेनरेटर निर्वाध रूप से कार्य करेगा ताकि बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद भी पर्याप्त रौशनी उपलब्ध हो सके । विद्युत संवेदक अंचल अधिकारी, बरौनी के निर्देशानुसार बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

विद्युत व्यवस्था कार्य

क्र0	सामग्री	सम्पूर्ण मेला अवधि के प्रतिदिन	दर	
			अंक में	शब्द में
1	सी0एफ0एल0 बल्ब 24 वाट	150 प्रति		
2	टयूब लाईट	1500 प्रति		
3	हेलोजन बल्ब	30 प्रति		
4	पंखा सिलिंग	15 प्रति		
5	पंखा पेडेस्टल	20 प्रति		
6	भेपर (मेटल लाइट)	24 प्रति		
7	हेलोजन	30 प्रति		

8	जेनरेटर 5 के0 वी0 प्रतिदिन प्रति अदद (ईधन + भाड़ा + मजदूर सहित)			
9	अस्थायी विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत यूनिट व्यय KW/ प्रतिदिन का दर			

तकनीकी निविदा के अन्तर्गत निम्नांकित दस्तावेज / कागजात अलग–अलग समर्पित करना आवश्यक है ।

1. <u>तकनीकी निविदा की शर्त्त</u>
   1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं सेवा कर से निबंधित होने का प्रमाण पत्र, वैट नम्बर तथा आयकर नम्बर देना होगा । साथ ही अद्यतन आयकर, वाणिज्यकर एवं सेवा कर जमा करने की विवरणी की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा ।
   2. तकनीकी निविदा के साथ मो0– 10,000/– (दस हजार) रू0 का अग्रधन के रूप में जिला नजारत, बेगूसराय में जमा कर निविदा के साथ नाजिर रसीद लगाना अनिवार्य होगा ।
   3. निविदादाता को अपने फर्म के संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म किसी भी स्तर से काली सूची में दर्ज नहीं की गयी है ।
   4. निविदादाता को यदि कार्य आवंटित होता है तो निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा,अन्यथा कार्यादेश को रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा फर्म के विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।
   5. निविदादाताओं का चरित्र उत्तम एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए ।
   6. निविदादाताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से की सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए ।
   7. भुगतान के समय देयकर की राशि की कटौती श्रोत पर नियमानुसार कर ली जायेगी । भुगतान की कार्रवाई सामग्री की गुणवत्ता के आधार पर जॉचोपरान्त की जायेगी । कार्य आवंटन होने के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा आदेशित कार्य स्थल पर निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध कराना होगा । इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय / मजदूरी अलग से देय नहीं होगा ।
2. <u>वित्तीय निविदा की शर्त्त</u>
   1. कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से आदेशित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा ।
   2. सभी सामग्रियों का दर सभी कर सहित देना होगा ।
   3. कार्यालय द्वारा क्रय किये गये निविदा प्रपत्र पर ही दर का उल्लेख अंक एवं शब्द में करना होगा ।

4. आवंटन विभाग से प्राप्त होने पर ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा । अपरिहार्य कारण से भुगतान में बिलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।

अन्य शर्त्त

1. आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणबत्ता सुनिश्चित करना संबंधित आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी ।
2. बिना कोई कारण बताये निविदा को रद्द करने , निविदा के शर्त्तो को संशोधित करने, कार्यहित में एक से अधिक एजेन्सी के बीच कार्यो को बॉटने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा । समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म का काली सूची में दर्ज करते हुए मेला कार्य में बाधा पहुँचाने हेतु नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करते हुए जमानत / अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी ।
3. निविदादाता को यह शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी भी राजनैतिक दल से प्रत्यक्ष अथवा अप्रात्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है (बिहार सरकार निर्वाचन विभाग,पटना के पत्रांक– एम0–1–10/2015... 6033 पटना, दिनांक– 03.10.2015 द्रष्टव्य)।

निविदा की शर्त्त एवं अन्य विस्तृत विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय कार्य अवधि में जिला राजस्व शाखा, बेगूसराय/जिला के वेवसाईट **http:/ www.begusarai.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है ।

निविदा प्रकाशित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ,नई दिल्ली से सहमति प्राप्त है(बिहार सरकार निर्वाचन विभाग,पटना के पत्रांक– एम0–1–10/2015... 6033 पटना, दिनांक– 03.10.2015 द्वारा संसूचित) ।

उपर्युक्त वर्णित निविदा को बिना कारण बताये स्थगित / निलंबित अथवा रद्ध करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

8/10/15

समाहर्त्ता,बेगूसराय।